

चुनाव मुफ्त

प्रलिम्स के लिये:

चुनाव चहिन (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 ।

मेन्स के लिये:

फ्रीबीज के पक्ष में तर्क, अर्थव्यवस्था पर फ्रीबीज का प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के [चुनाव आयोग \(Election Commission of India-ECI\)](#) द्वारा [चुनाव चहिन को ज़बत करने](#) या चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से "तर्कहीन मुफ्त (irrational freebies)" का वादा करने या वतिरति करने वाले राजनीतिक दल को अपजिकृत करने का नरिदेश देने की मांग की गई है ।

- याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा हाल ही में चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त उपहार देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के लिये सबसे बड़ा खतरा है बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुँचाती है ।

प्रमुख बडि

- भारतीय राजनीति में मुफ्त (Freebies) के बारे में:
 - राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बज़िली / पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी शर्मिकों एवं महिलाओं, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट आदि को देने का वादा करते हैं ।
- याचिका के बारे में:
 - याचिकाकर्ता का कहना है कि तर्कहीन मुफ्त के मनमाने वादे स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव हेतु चुनाव आयोग के जनादेश का उल्लंघन करते हैं ।
 - नज्ी वस्तुओं-सेवाओं का वतिरण जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं हैं, सार्वजनिक धन से संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 162 (राज्य की कार्यकारी शक्ति), 266 (3) (भारत की संचति नधि से व्यय) और 282 (वविकाधीन अनुदान) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है ।
 - याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में एक कानून बनाने के लिये संघ को नरिदेश देने की भी मांग की गई है ।
 - इसने [चुनाव चहिन \(आरक्षण और आवंटन\) आदेश, 1968](#) के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ने के लिये चुनाव आयोग को नरिदेश देने की मांग की ।
 - यह एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता हेतु शर्तों से संबंधित है कि "राजनीतिक दल चुनाव से पहले सार्वजनिक नधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा / वतिरण नहीं करेगा" ।
- मुफ्त उपहारों/वादों के पक्ष में तर्क:
 - अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक नश्चिति स्तर है (या नहीं है), चुनावों के उद्भव पर लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों से पूरी होती हैं ।
 - इसके अलावा जब आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों (वभिन्न सत्तारूढ दलों के साथ) को मुफ्त उपहार वतिरति किये जाते हैं तो तुलनात्मक अपेक्षाएँ भी उत्पन्न होती हैं ।
 - कम वकिसति राज्यों के लिये सहायक: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हसिसे के साथ तुलनात्मक रूप से नमिन स्तर के विकास वाले राज्यों के लिये इस तरह के मुफ्त उपहार आवश्यकता/मांग-आधारित हो जाते हैं और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान हेतु इस तरह की सबसिडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है ।
- मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे:
 - आर्थिक भार: यह राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ डालता है ।
 - स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के वरिद्ध: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बाधित करता है ।

- यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रशिवत देने के समान है।
- समानता के सिद्धांत के विपरीत: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से नज्दी वस्तुओं या सेवाओं का वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं है, संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) शामिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: वर्ष 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमलिनाडु सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है जो चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की भावना का उल्लंघन करता है।
 - न्यायालय ने यह भी माना कि चुनावी घोषणा पत्र में वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत "भ्रष्ट आचरण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिये जब सत्ताधारी पार्टी राज्य विधानसभा में वनियोग अधिनियम पारित करके इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करती है तो मुफ्त वितरण को रोकना संभव नहीं है।
 - न्यायालय ने कहा कि वर्तमान ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो चुनाव घोषणापत्र को प्रत्यक्ष तौर पर नरितरति करता हो और साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से इस संबंध में दशिया-नरिदेश तैयार करने का नरिदेश दिया है।

आगे की राह

- बेहतर नीतितगत पहुँच: वभिनिन राजनीतिक दल, जनि आरथिक नीतियों या वकिसास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
 - इसके अलावा वभिनिन दलों में ऐसी नीतियों के आरथिक प्रभाव की उचित समझ वकिसति करनी चाहिये।
- वविकपूरण मांग-आधारत मुफ्त सुवधिएँ: भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।
 - देश की वकिसास योजना में सभी लोगों को शामिल करना भी ज़रूरी है।
 - मुफ्त या सब्सडि की वविकपूरण पेशकश, जसि राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी और इसका लाभ आसानी से लोगों तक पहुँच सकेगा।
- 'सब्सडि' और 'मुफ्त' के बीच अंतर को स्पष्ट करना: आरथिक रूप से 'मुफ्त वितरण' के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।
 - 'सब्सडि' और 'मुफ्त' के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सब्सडि उचित और वशिष रूप से लक्षति लाभ है, जो मांगों से उत्पन्न होती है।
- लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना: लोगों को यह महसूस कराना चाहिये कि वे अपने वोट बर्बाद करके क्या गलती करते हैं। यदि वे वरिध नहीं करते हैं, तो वे अच्छे नेताओं की अपेक्षा नहीं कर सकते।

स्रोत: द हट्टि